उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड
UTTAR PRADESH JAL VIDYUT NIGAM LIMITED
(A U.P. Govt. Enterprise)

Save Energy for Benefit of Self and Nation

स्वहित एवं राष्ट्रहित में बिजली बचाएं

CIN-U31901UP1985SGC007135

Registered/Corporate Office:
12th Floor, Shakti Bhawan Extension,
14- Ashok Marg, Lucknow- 226001
Phone: 0522-2287037
RAX No. : 0522- 2287701 Ext. 4653

रजिस्टर्ड / कारपोरेट कार्यालय :
12वां तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
फोन: 0522–2287037
रैक्स नं0 : 0522–2287701 वि.नं.–4653

संख्या– 3726 / का0 एवं प्रशा0 / जविनिलि0 / 21–17(10) / 2000 / वाल्यू0– I I   दिनांकः 24/12/2021

1– मुख्य अभियन्ता (परि0 एवं अनु0) / (एम0पी0एस0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।

2– उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।

3– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।

4– कम्पनी सचिव, उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।

5– समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।

विषयः **उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों / कर्मचारियों, जो दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी वेतन संरचना में वेतन आहरित कर रहें हैं, को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान।**

सन्दर्भ संख्याः **उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश संख्या 1425–का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 21–7–काविनी एवं वे0प्र0 / 17 दिनांक 21.12.2021**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निगम के आदेश संख्या 2639 / का0 एवं प्रशा0 / जविनिलि / 21–17(10) / 2000 दिनांक 06.09.2021 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमानों में निगम के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों / कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से निम्नानुसार बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगाः–

तिथि जब से देय है	मंहगाई भत्ते की मासिक दर
01 जुलाई, 2021	मूल वेतन का 31 प्रतिशत

2– उपरोक्त बढ़ी हुई दर से मंहगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में निम्न प्रमुख बिन्दु निर्धारित किये गये हैं :–

I. इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आगणन हेतु "मूल वेतन" का तात्पर्य दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेबल में आहरित वेतन से है, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन / भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता / वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

II. मंहगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम–9(21) के अन्तर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

III. इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता उन कर्मचारियों पर भी प्रभावी होगा, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवाएं चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग–पत्र, सेवा–निवृत्ति, मृत्यु या सेवा–मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा–समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

IV. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा, तथा पचास पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

V. इस आदेश द्वारा स्वीकृत दरों पर मंहगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2021 से दिनांक 30 नवम्बर, .2021 तक की देय अवशेष धनराशि का भुगतान अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में/अंशदायी भविष्य निधि खाते में/कर्मचारी भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी एवं दिनांक 01 जनवरी, 2022 से देय धनराशि का भुगतान दिसम्बर माह के नियमित वेतन के साथ नकद किया जायेगा। इस प्रकार सामान्य भविष्य निधि खाते मे/अंशदायी भविष्य निधि खाते में/कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा अवशेष धनराशि दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगा और इसे उन मामलों को छोड़कर, जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawl) देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जिनका सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/कर्मचारी भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको देय अवशेष की धनराशि उनके पी0पी0एफ0 खाते में जमा किया जायेगा अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दिया जायेगा। परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह उसे नकद दिया जायेगा।

VI. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जुलाई, 2021 से आदेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

3– उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बढ़ी हुई मंहगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु लेखा इकाई द्वारा प्राधिकार–पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय,

24/12/2021

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
उपमहाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0)

संख्याः /का0 एवं प्रशा0/जविनिलि0/21–17(10)/2000/वाल्यू0–।।, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।

2– निदेशक (तकनीकी)/(वित्त), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।

3– लेखाधिकारी (आहरण एवं वितरण)/(वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।

4– कट फाइल।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
उपमहाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0)